

प्रेषक,

अमिताभ त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक: 03 अक्टूबर, 2016

विषय: मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत कुक कम हेल्पर के मानदेय मद में वित्तीय स्वीकृतियों की द्वितीय किश्त निर्गत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के पत्रांक-म०भ०प्रा०/1384/2016-17 दिनांक 12.08.2016 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत कुक कम हेल्पर को रू० 1000/-प्रतिमाह प्रति रसोइया की दर पर मानदेय के रूप में भुगतान किया जाना निर्धारित किया गया है, जिसमें परिवर्तित फण्डिंग पैटर्न के अनुसार केन्द्रीय सहायता रू०-600/-एवं राज्यांश रू०-400/-प्रति रसोइया होगा। अतएव भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष रू०-600/- प्रति रसोइया की दर पर जनपदों द्वारा उपलब्ध करायी गई संख्या के आधार पर केन्द्रांश के रूप में रू०-5495.16 लाख (रू० चौवन करोड़ पनचान्बे लाख सोलह हजार मात्र) तथा राज्यांश के रूप में रू०-3663.46 लाख (रूपया छत्तीस करोड़ तिरसठ लाख छियालिस हजार मात्र) अर्थात् कुल रू०-9158.62 लाख (रूपया इक्यानबे करोड़ अटठावन लाख बहसठ हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार अवमुक्त किए जाने पर श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि उक्त धनराशि का व्यय कुक कम हेल्पर को निर्धारित दर से मानदेय अथवा वास्तव में भुगतान किए गये मानदेय जो भी कम हो, तक सीमित रखा जायेगा।

2- उक्त धनराशि के लेखों के रखरखाव की समस्त कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी तथा तीन-तीन माह के अन्तराल में व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराये जायेंगे।

3- जनपदों द्वारा उक्त मद में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति को ग्राम पंचायत के कार्यदायी संस्था होने की स्थिति में मध्याह्न भोजन निधि से उपलब्ध कराया जायेगा जबकि एन०जी०ओ०, वार्ड समिति, महिला समाख्या आदि द्वारा योजना के संचालन की स्थिति में संबंधित कार्यदायी संस्था को इस प्रयोजन हेतु खोले गये खातों में उपलब्ध कराया जायेगा।

4- मध्याह्न भोजन निधि तथा कार्यदायी संस्था के बैंक खाते से कुक कम हेल्पर को मानदेय का भुगतान चेक के माध्यम से किया जायेगा एवं इस हेतु सम्बन्धित कुक कम हेल्पर का बचत खाता बैंक में खुलवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-71 के अधीन लेखा शीर्षक '2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा आयोजनागत-112-विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम-01-केन्द्रीय

आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-0103-कुकिंग लागत आदि (के.60/रा. 40-के+रा0)-20-सहायता अनुदान सामान्य(गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 के प्रस्तर-2(5) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।

संख्या-1169(1)/79-6-2016-304/2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
- 2- निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 ।
- 2- श्रम आयुक्त कानपुर ।
- 4- निदेशक, कोषागार उ0प्र0, लखनऊ ।
- 5- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 6- वरिष्ठ शोध अधिकारी, शिक्षा विभाग ।
- 7- नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन ।
- 8- वित्त ई-11 अनुभाग, उ0प्र0 शासन ।
- 9- बजट अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन ।
- 10- वित्त नियंत्रक, म0भो0प्रा0/बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
- 11- सम्बन्धित समस्त सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 ।
- 12- सम्बन्धित समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0 ।
- 13- सम्बन्धित समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी(बेसिक शिक्षा विभाग) उ0प्र0 ।
- 14- राज्य परियोजना निदेशक महिला समाख्या, उ0प्र0 लखनऊ ।
- 15- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।

प्रेषक,

अमिताभ त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक: 03 अक्टूबर, 2016

विषय: मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुक कम हेल्पर के मानदेय मद में वित्तीय स्वीकृतियों की द्वितीय किश्त निर्गत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्रांक-म०भ०प्रा०/1384/2016-17 दिनांक 12.08.2016 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुक कम हेल्पर को रू० 1000/-प्रतिमाह प्रति रसोइया की दर पर मानदेय के रूप में भुगतान किया जाना निर्धारित किया गया है, जिसमें परिवर्तित फण्डिंग पैटर्न के अनुसार केन्द्रीय सहायता रू०-600/-एवं राज्यांश रू०-400/-प्रति रसोइया होगा। अतएव भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष रू०-600/- प्रति रसोइया की दर पर जनपदों द्वारा उपलब्ध करायी गई संख्या के आधार पर केन्द्रांश के रूप में रू०-5495.16 लाख (रू० चौवन करोड़ पनचान्बे लाख सोलह हजार मात्र) तथा राज्यांश के रूप में रू०-3663.46 लाख (रूपया छत्तीस करोड़ तिरसठ लाख छियालिस हजार मात्र) अर्थात् कुल रू०-9158.62 लाख (रूपया इक्यानवे करोड़ अटठावन लाख बहसठ हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार अवमुक्त किए जाने पर श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि उक्त धनराशि का व्यय कुक कम हेल्पर को निर्धारित दर से मानदेय अथवा वास्तव में भुगतान किए गये मानदेय जो भी कम हो, तक सीमित रखा जायेगा।

2- उक्त धनराशि के लेखों के रखरखाव की समस्त कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी तथा तीन-तीन माह के अन्तराल में व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराये जायेंगे।

3- जनपदों द्वारा उक्त मद में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति को ग्राम पंचायत के कार्यदायी संस्था होने की स्थिति में मध्यान्ह भोजन निधि से उपलब्ध कराया जायेगा जबकि एन०जी०ओ०, वार्ड समिति, महिला समाख्या आदि द्वारा योजना के संचालन की स्थिति में संबंधित कार्यदायी संस्था को इस प्रयोजन हेतु खोले गये खातों में उपलब्ध कराया जायेगा।

4- मध्यान्ह भोजन निधि तथा कार्यदायी संस्था के बैंक खाते से कुक कम हेल्पर को मानदेय का भुगतान चेक के माध्यम से किया जायेगा एवं इस हेतु सम्बन्धित कुक कम हेल्पर का बचत खाता बैंक में खुलवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-71 के अधीन लेखा शीर्षक '2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा आयोजनागत-112-विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम-01-केन्द्रीय

आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-0103-कुकिंग लागत आदि (के.60/रा. 40-के+रा0)-20-सहायता अनुदान सामान्य(गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 के प्रस्तर-2(5) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।

संख्या-1169(1)/79-6-2016-304/2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
- 2- निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 ।
- 2- श्रम आयुक्त कानपुर ।
- 4- निदेशक, कोषागार उ0प्र0, लखनऊ ।
- 5- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 6- वरिष्ठ शोध अधिकारी, शिक्षा विभाग ।
- 7- नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन ।
- 8- वित्त ई-11 अनुभाग, उ0प्र0 शासन ।
- 9- बजट अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन ।
- 10- वित्त नियंत्रक, म0भो0प्रा0/बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
- 11- सम्बन्धित समस्त सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 ।
- 12- सम्बन्धित समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0 ।
- 13- सम्बन्धित समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी(बेसिक शिक्षा विभाग) उ0प्र0 ।
- 14- राज्य परियोजना निदेशक महिला समाख्या, उ0प्र0 लखनऊ ।
- 15- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,


(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।

Enclosure of G O No.

[Mid Day Meal Scheme]
Fund Allocation for Honorarium to Cook-cum-Helpers
FY 2016-17: Grant -71 PLAN
2nd Installment - Central & State Share (in Rs. Lac)

Sl. No.	Districts	No. of Cook-cum-Helpers (General category) expected to be working in 2015-16 as per information given by Districts	No. of months for which Funds are being released	Central Share Funds (@ Rs 600/cook/month) being released as 2nd Installment	State Share Funds (@ Rs 400/cook/month) being released as 2nd Installment	Total Funds being released as 2nd Installment
1	2	3	4	5	6	7=5+6
1	Agra	4986	3	95.73	63.82	159.55
2	Aligarh	2035	3	39.07	26.05	65.12
3	Allahabad	5461	3	104.85	69.90	174.75
4	Ambedkar nagar	3414	3	65.55	43.70	109.25
5	Auraiya	3226	3	61.94	41.29	103.23
6	Azamgarh	5989	3	114.99	76.66	191.65
7	Badaun	5002	3	96.04	64.02	160.06
8	Baghpat	1346	3	25.84	17.23	43.07
9	Bahraich	7347	3	141.06	94.04	235.10
10	Ballia	6023	3	115.64	77.10	192.74
11	Balrampur	4085	3	78.43	52.29	130.72
12	Banda	3842	3	73.76	49.18	122.94
13	Barabanki	6739	3	129.39	86.26	215.65
14	Bareilly	5643	3	108.35	72.23	180.58
15	Basti	4058	3	77.92	51.94	129.86
16	Bhadohi	2162	3	41.51	27.67	69.18
17	Bijnour	3937	3	75.59	50.39	125.98
18	Bulandshahar	1274	3	24.46	16.31	40.77
19	Chandauli	2300	3	44.16	29.44	73.60
20	Chitrakoot	2377	3	45.64	30.42	76.06
21	CSM Nagar (Amethi)	3434	3	65.93	43.96	109.89
22	Deoria	4057	3	77.89	51.93	129.82
23	Etah	3687	3	70.79	47.19	117.98
24	Faizabad	4291	3	82.39	54.92	137.31
25	Farrukhabad	4423	3	84.92	56.62	141.54
26	Fatehpur	4565	3	87.65	58.43	146.08
27	Firozabad	3802	3	73.00	48.66	121.66
28	Gautambuddh ngr	161	3	3.09	2.06	5.15
29	Ghazipur	5790	3	111.17	74.11	185.28
30	Ghaziabad	114	3	2.19	1.46	3.65
31	Gonda	6642	3	127.52	85.02	212.54
32	Gorakhpur	5248	3	100.76	67.18	167.94
33	Hameerpur	1945	3	37.34	24.90	62.24
34	Hardoi	8170	3	156.86	104.58	261.44
35	Hathras (Mahamaya Ngr)	2195	3	95.77	63.84	159.61
36	Itawah	3574	3	68.62	45.75	114.37
37	J.P. Nagar (Amroha)	2651	3	50.90	33.93	84.83
38	Jalaun	3161	3	60.69	40.46	101.15
39	Jaunpur	7795	3	149.66	99.78	249.44
40	Jhansi	2750	3	85.80	57.20	143.00
41	Kannauj	3845	3	73.82	49.22	123.04
42	Kanpur Dehat	4579	3	87.92	58.61	146.53
43	Kanpur Nagar	3176	3	60.98	40.65	101.63
44	Kashiram Nagar (Kasganj)	3120	3	59.90	39.94	99.84
45	Kaushambi	2049	3	39.34	26.23	65.57
46	Kushinagar	5261	3	101.01	67.34	168.35
47	Lakhimpur Kheri	7323	3	140.60	93.74	234.34

Sl. No.	Districts	No. of Cook-cum-Helpers (General category) expected to be working in 2015-16 as per information given by Districts	No. of months for which Funds are being released	Central Share Funds (@ Rs 600/cook/month) being released as 2nd Installment	State Share Funds (@ Rs 400/cook/month) being released as 2nd Installment	Total Funds being released as 2nd Installment
1	2	3	4	5	6	7=5+6
49	Lucknow	2018	3	38.75	25.83	64.58
50	Mahoba	1942	3	37.28	24.86	62.14
51	Mahrajganj	3770	3	72.38	48.26	120.64
52	Mainpuri	3827	3	73.48	48.98	122.46
53	Mathura	1077	3	20.68	13.78	34.46
54	Mau	2857	3	54.85	36.57	91.42
55	Meerut	1888	3	36.25	24.17	60.42
56	Mirzapur	3661	3	70.29	46.86	117.15
57	Muradabad	2237	3	42.95	28.63	71.58
58	Muzaffarnagar	2207	3	42.37	28.25	70.62
59	Pilibheet	4115	3	79.01	52.67	131.68
60	Pratapgarh	5205	3	99.94	66.62	166.56
61	Rai Bareilly	4359	3	83.69	55.80	139.49
62	Rampur	3259	3	62.57	41.72	104.29
63	Saharanpur	2575	3	49.44	32.96	82.40
64	Santkabr Nagar	2552	3	49.00	32.66	81.66
65	Shahjahanpur	6336	3	121.65	81.10	202.75
66	Shravasti	2329	3	44.72	29.81	74.53
67	Siddharthnagar	3975	3	76.32	50.88	127.20
68	Sitapur	7832	3	150.37	100.25	250.62
69	Sonbhadra	2476	3	47.54	31.69	79.23
70	Sultanpur	4569	3	113.56	75.71	189.27
71	Unnao	4530	3	86.98	57.98	144.96
72	Varanasi	2700	3	51.84	34.56	86.40
73	SAMBHAL (BHEEM NAGAR)	2814	3	54.03	36.02	90.05
74	HAPUR (PANCHSHEEL NAGAR)	1290	3	24.77	16.51	41.28
75	SHAMALI (PRABUDDH NAGAR)	1296	3	24.88	16.59	41.47
TOTAL		280351	3	5495.16	3663.46	9158.62


 (अमिताभ त्रिपाठी)
 संयुक्त सचिव,
 उत्तर प्रदेश शासन